By E mail

क्रमांक: 7656/स्था0,   दिनांक : 22 जुलाई, 2019

प्रेषकः
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर जिला, जयपुर

प्रेषितिः
प्रभारी अधिकारी (स्टोर शाखा)
जिला न्यायालय, जयपुर जिला

विषयः अनुपयोगी फर्नीचर के निस्तारण के सम्बन्ध में।

---00---

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायक्षेत्रों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान् न्यायालय कक्ष, कार्यालय कक्षों आदि में रखे टूटे फर्नीचर, पुराने टाईप राईटर्स एवं कम्प्युटर्स, अनुपयोगी किताबे व स्टेशनरी आर्टिकल्स, जो अनावश्यक रूप से न्यायालय व कार्यालय कक्षों में काफी जगह घेर रहे है, को भी गम्भीरता से लिया गया है।

अतः उक्त क्रम में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप जयपुर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों से सम्पर्क स्थापित कर, न्यायालय/कार्यालय कक्षों में रखे हुये पुराने अनुपयोगी फर्नीचर, पुराने टाईप राईटर्स एवं कम्प्युटर्स, अनुपयोगी किताबें व स्टेशनरी आर्टिकल्स को तुरन्त प्रभाव से स्टोर शाखा में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें तथा उक्त सामान में से जो सामान रिपेयर करवाया जाकर, इस्तेमाल किया जा सकता हो, उसे अविलम्ब दुरुस्त करवाया जावे। यह भी निर्देश दिये जाते है कि जो भी अनुपयोगी सामान रिपेयर नहीं करवाया जा सकता हो, उसके निस्तारण के लिये अनुपयोगी सामान के निस्तारण हेतु बनाई गई समिति से सम्पर्क कर, निस्तारण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाकर, इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

भ व दी य

22.7.19

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर जिला, जयपुर

क्रमांक: 7657/स्था0,   दिनांक : 22 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रशासनिक अधिकारी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर जिला, जयपुर